**आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धन वसूली का वाद**

**(Suit for recovery of Rs. ....... under order 37 CPC)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् ...

(अन्तर्गत आदेश 37 सी०पी०सी०, 1908)

अ०ब० स० ............ वादी

**बनाम**

स०द०फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

वादी द्वारा सविनय निवेदन निम्न प्रकार है :

1. यह कि वादी एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और कंपनीज रजिस्ट्रार ............ के यहाँ कंपनीज अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय ............. पर है। श्री ............ जिसे कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव दिनांक ............ पास करके अधिकृत किया गया है के द्वारा वाद दायर किया गया है । उक्त प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति (कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा) यहाँ पर संलग्नक ............ पर संलग्न की जा रही है।
2. यह कि वर्तमान काल में कम्पनी ............. का व्यापार करती है।
3. यह कि प्रतिवादी एक पार्टनरशिप फर्म है और प्रतिवादी नंबर 2 और 3 इस के पार्टनर हैं। (यहाँ पर केस के तथ्य दिये जाये)
4. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी से प्राप्त सभी हुण्डियों और चैकों की उगाही के वास्ते सभी प्रकार के उपाय करने के बाद कंपनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक ............ को सभा हुण्डियों, चैकों का भुगतान माँगते हुए अंकन रु० ............ ब्याज @ 24% वार्षिक सहित | भुगतान होने तक का कानूनी नोटिस भेजा गया है । उपरोक्त नोटिस प्रतिवादी को तामील करा दिया गया था। कानूनी नोटिस की कापी और वापिस प्राप्त स्वीकारोक्ति रसीद संलग्न की जा रही है जो संलग्नक न० ............. है।
5. यह कि प्रतिवादी द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद वह हुण्डियों चैकों का भुगतान अंकन रु० ............ का करने में विफल रहा है। हुण्डियाँ और चैक संलग्न किये जा रहे हैं और संलग्नक नं० ............ पर हैं।
6. यह कि प्रतिवादीगण सम्मिलित रूप से और पृथक-पृथक रूप से अंकन रु० .. @ 24% वार्षिक भुगतान करने के उत्तरदायी हैं जो कि वे भुगतान करने में विफल रहे और चार अनुरोध करने पर भी, आश्वासन देने और नोटिस देने के बाद भी टालते रहे।
7. यह कि वादी के पक्ष में वाद हेत (cause of action) और प्रतिवादी के विरुद्ध तब उत्पन्न आश्वासनों के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। यह दोबारा तब उत्पन्न हुआ जब हुण्डियों और चैक बिना भगतान किये ही वापिस कर दिये गये । वाद हेतु पुन: तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवाटी को दिनांक ............ को कानूनी नोटिस तामील कराया गया और जो अभी भी उसी पर अड़ा है।
8. यह कि बिक्री की विशिष्ट शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य यह करार हुआ है कि बिल सम्बन्धित सभी विवादों का निपटारा ............ पर ............ न्यायालय का ही कार्य क्षेत्र होगा। इसलिए यह मान्य न्यायालय के वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
9. यह कि वर्तमान वाद आदेश XXXVII CPC के अन्तर्गत दायर किया जा रहा है और कोई ऐसा अनुतोष जो इस नियम की परिधि में ना आता हो नहीं माँगा गया है।
10. यह कि न्याय शुल्क की दृष्टि से वाद का मूल्यांकन और कार्यक्षेत्र के अभिप्राय से अंकन रु० ............ किया गया है जिस पर अंकन रु० ............ न्याय शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

तदनुसार वादी निम्न प्रकार प्रार्थना करता है।

(क) अंकन रु० ............ की डिक्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध ब्याज २४३ वार्षिक और भविष्य के ब्याज के लिये वाद के दायरे से वसूली की तिथि तक के साथ पारित की जाये।

(ख) वाद का खर्चा भुगतान आदेश वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित किया जाये।

(ग) ऐसा कोई अन्य आदेश जो यह मान्य न्यायालय चित और उपयुक्त समझे, केस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाये।

**वादी .......**

**अधिवक्ता हस्ताक्षरकर्ता.....**

**सत्यापन**

मैं कि ............ वादी प्रमाणित करता हूँ कि पैरा 1 से 6 तक वाद पत्र में मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य और सही हैं और पैरा 7 से 10 तक कानूनी सलाह के आधार पर हैं जिनके सत्य होने का मैं विश्वास करता हूँ। शेष इस मान्य न्यायालय से सविनय प्रार्थना है।

**सत्यापन - स्थान ............ दिनांक ........**

**(वादी) .........**

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता .......**